कार्यालय, नगर पालिक निगम,कोरबा (छत्तीसगढ़)

फा.क स्टे. 649/स्टे./2017

कोरबा,दिनांक 10.08.2017

निविदा आमंत्रण सूचना

नगर पालिक निगम,कोरबा द्वारा लाईन मेट्रिक्स मषीन के मरम्मत हेतु वार्षिक दर निर्धारण (AMC) के लिए निम्न विवरण के अनुसार व्यवसाय से संबंधित फर्म/मरम्मतकर्ता से फार्म "सी" में मुहरबंध निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं स्वीकृत निविदा दर एक वर्ष अथवा आगामी निविदा दर स्वीकृत होने तक मान्य रहेगा।

क्र.	कार्य का नाम	प्राक्कल राषि	धरोहर राषि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्यावधि	निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि	निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की तिथि	निविदा खुलने की तिथि
1	लाईन मेट्रिक्स मषीन के मरम्मत हेतु वार्षिक दर निर्धारण। (97/108 1500speed in LPM 130/136 colum and One parallel and one serial port.)	81200.00	1000/-	300/-	01 वर्ष	04.09.2017	08.09.2017	14.09.2017

1. निविदा प्रपत्र की प्रतियां नगर पालिक निगम,साकेत भवन रामपुर कोरबा कार्यालय से उपरोक्त कार्य हेतु नाम के सम्मुख अंकित राशि नगद जमा कर उपर लिखि तिथि में सायं 5.30 बजे तक अवकाश के दिन को छोड़कर प्राप्त की जा सकती है। यदि निविदा प्रपत्र डाक द्वारा मंगाना हो तो रू. 50/– अधिक भेजने होंगे तथा निविदा समय पर मिलने या न मिलने की जिम्मेदारी इस कार्यालय की नहीं होगी।
2. निविदा प्रपत्र स्पीड पोस्ट अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से ही स्वीकार किये जाएंगे। निर्धारित तिथि को सायं 3.00 बजे के पश्चात प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा ।
3. जिन प्रदायकर्ताओं द्वारा नगर पालिक निगम (साडा) के किसी ठेके के कार्य में अनुबंध के अनुरूप कार्य न किया गया हो अथवा नगर पालिक निगम (साडा) के हित के विरूद्ध कार्य किया गया हो उन्हें निविदा भरने की पात्रता नहीं होगी।
4. निविदा प्राप्त करने के इच्छुक प्रदायकर्ता को ऑनरशीप यदि साझेदारी फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र (पार्टनरशीप डीड)की सत्य प्रतिलिपि, इस प्रकार के किये गये कार्यों का अनुभव हो, आयकर प्रमाण पत्र/पेन नं. एवं छत्तीसगढ़ वाणिज्यिककर पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा प्रपत्र जारी नहीं किया जावेगा ।
5. पूर्ण रूप से भरे निविदा प्रपत्र उपरोक्त तिथि को 15.00 बजे तक प्राप्त की जा सकती है और उसी दिन 16.00 बजे प्रदायकर्ता एवं उनके प्रतिनिधि यदि वे उपस्थित होना चाहे तो उनके समक्ष खोली जावेगी ।
6. निविदा प्रपत्र अहस्तांतरणीय होगी ।
7. सशर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
8. बिना कारण बताए स्वीकृत/अस्वीकृत या पूर्ण रूप से अमान्य करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को रहेगा ।
9. किसी भी तरह की विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।
10. अन्य सूचनाएं नगर पालिक निगम साकेत भवन रामपुर कोरबा कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है ।
11. उपरोक्त तिथियों में से किसी भी तिथि को शासकीय/स्थानीय अवकाश होने पर अगामी कार्य दिवस की तिथि मानी जावेगी
12. अमानत राशि के रूप में एफ.डी.आर./टी.डी.आर. अथवा नगद अलग–अलग कार्य के लिए अलग अलग अमानत राषि जमा करना होगा, जो कि आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा के नाम पर देय होगा। बिना अमानत राषि के आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।

मुख्य लेखा अधिकारी
नगर पालिक निगम
कोरबा (छत्तीसगढ़)